फर्द अहकाम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , चित्तौडगढ

चन्द्रप्रकाश बनाम अभिषेक हिंगड़

प्रकरण संख्या – 130/2022

दिनांक	कार्यवाही विवरण	तामील
27.07.2023	पत्रावली प्रस्तुत/उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। राजीनामा पर बहस कर राजीनामा विधिसम्मत होना एवं राजीनामे अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। मैने उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा एवं राजीनामे पर बहस का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण एवं प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अवैधानिक होना अंकित किया है। अपील के विचाराधीन होते हुये उभयपक्षकारान ने अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित राजीनामा इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने का एवं राजीनामे के अनुसार अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने का निर्णय किया गया है। चूंकि प्रकरण बंटवाडे का है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को निर्णय कर अन्तिम डीक्री पारित की थी जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी परन्तु पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर तस्दीक हो चुका है। राजीनामा मुताबिक विभाजन के लिये पक्षकार स्वयं उत्तरदायी है। पक्षकारों की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डीक्री प्रकरण संख्या 16/2020 दिनांक 31.08.2022 को अपास्त किया जाता है। पर्चा डीक्री अलग से जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली मय निर्णय एवं डीक्री की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। 27/7/2023 (गितेश श्री मालवीय) राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़	